संख्या-1/2015/50/20/1/91/का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉंकः 21 जनवरी, 2015

विषयः- भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनॉंक 15-03-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

2- उक्त संदर्भ में पूर्व निर्गत समसंख्यक शासनादेश क्रमशः दिनॉंक 18-04-2012, दिनॉंक 11-06-2012 एवं दिनॉंक 19-11-2013 के क्रम में समूह "ग" के ऐसे पद, जिन पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयन किया जायेगा, को भर्ती पर प्रतिबंध विषयक शासनादेश दिनॉंक 15-03-2012 से अवमुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तत्क्रम में यह अपेक्षा की जाती है कि रिक्त पदों से संबंधित अधियाचन अविलम्ब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किये जायें।

[redacted]

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1/2015/50(1)/20/1/91/का-2/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 प्रमुख सचिव/सचिव, मा0मुख्यमंत्रीजी।
2 निजी सचिव, मा0मंत्रिगण को मंत्रिगण के सूचनार्थ।
3 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
4 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
6 रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
9 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(योगेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in